FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

ct): ACB DISTRICT | P.S. (थाना): C.P.S Jaipur | Year (वर्ष): 2025

No. रि.सं): 0319 | Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 01/12/2025 12:17 बजे

No. सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

ccurrence of offence (अपराध की घटना):

y(दिन):	दरमियानी दिन	Date From (दिनांक से):	09/10/2025	Date To (दिनांक तक):	28/11/2025
ne Period मय अवधि):	पहर	Time From (समय से):	16:00 बजे	Time To (समय तक):	10:48 बजे
formation received at P.S. ाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):		Date (दिनांक):	28/11/2025	Time (समय):	10:00 बजे
eneral Diary Reference जनामचा संदर्भ) :		Entry No. (प्रविष्टि सं.):	002	Date & Time (दिनांक एवं समय)	01/12/2025 12:17:09 बजे

of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

of Occurrence (घटनास्थल):

Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH-EAST, 92 किमी | Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABL

Address(पता): KARALYA KARSHI UPAJ MANDI, SAMITI DHOLPUR

n case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): | District(State) (जिला (राज्य)):

plainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

Name(नाम): RAHUL MANGAL

ather's Name (पिता का नाम): ANTRAM MANGAL

ate/Year of Birth
न्म तिथि/ वर्ष): 1985 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

ID No(यूआईडी सं.):

assport No. (पासपोर्ट सं.):

ate of Issue
ारी करने की तिथि):

Place of Issue
(जारी करने का स्थान):

details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, तदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

ccupation (व्यवसाय):

ddress(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	PITAMBARA COLONY, DHOLPUR, DHOLPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	PITAMBARA COLONY, DHOLPUR, DHOLPUR, RAJASTHAN, INDIA

hone number
रभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

s of known/suspected/unknown accused with full particulars
दिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

ed More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

o. .)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
	KAILASH CHAND MEENA		पिता:RAMNATH MEENA	1. GUGLI KA GUWARA,THANAGAZI,THANAGAZI,ALWAR,RAJASTHAN,INDIA

ns for delay in reporting by the complainant/informant
तकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

ulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
सिक्के और मुद्रा	रुपये		45,000.00

value of property stolen(In Rs/-)
हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 45,000.00

est Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

No. (सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी भरतपुर (राज) विषय-रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाने बाबत्। निवेदन है कि मेरा नाम राहुल मंगल पुत्र श्री अन्तराम मंगल निवासी पिताम्बरा कोलोनी धौलपुर नाम है। मैने मेरी श्रीमति भगवान देवी के नाम से कृषि उपज मण्डी धौलपुर में कृषि मण्डी से बाहर मण्डी लाईसेन्स आढत के लिए किया है उक्त लाईसेन्स को जारी करने की एवज में मण्डी सचिव श्री कैलाश चन्द मीना द्वारा बार बार 50,000/- रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है व कागजों में कमी निकाल कर वापस भेज देते हैं मेरी माता जी ने इस कार्य के अधिकृत कर रखा है। जिसका अधिकृत प्रमाण पत्र साथ में सलग्न है। मै ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को रिश्वत नही देना चाहता व्यक्ति को रंगे हाथ पकडवाना चाहता हुं। मेरी इनसे कोई रंजिश नहीं है और नही कोई पुराना लेन देन बकाया है। जी से निवेदन है कि कारवाइ करने की कृपा करें। दिनांक 9/10/2025 प्रार्थी राहुल मंगल पुत्र श्री अन्तराम मंगल मो. [redacted],एसडी अमित सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरतपुर 9/10/2025, एसडी देवेन्द्र कुमार 27/11/2025, संजय कुमार मीना 27/11/2025, एसडी जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक 24/11/2025 कार्यवाही पुलिस दिनांक 2025 समय 04.00 पीएम, एसीबी भरतपुर प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमित सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चौकी भरतपुर की परिवादी श्री राहुल मंगल पुत्र श्री अन्तराम मंगल निवासी पिताम्बरा कोलोनी धौलपुर से जरिये हुई वार्तानुसार मय श्री सन्तोष कुमार हैड कानि 58 मय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मय लैपटॉप की-बोर्ड, माउस आदि मय सरकारी वाहन बोलेरो के रिश्वत मांग सत्यापन हेतु एसीबी चौकी भरतपुर से रवाना समय 0540 पीएम औंडेला रोड धौलपुर पंहुचा जंहा पर परिवादी श्री राहुल मंगल उपस्थित मिला जिसने अति0 अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर के पद नाम संबोधित करते हुए श्री अमित सिंह अति. पुलिस अधीक्षक भरतपुर को लिखित रिपोर्ट मय दस्तावेज के पेश की जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त रिपोर्ट का कन कर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं रिपोर्ट पर स्वयं क्षर होना बताया। मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर ब्यूरो की विभागीय प्रकिया अनुसार रिश्वती मांग का सत्यापन हेतु समय 0545 पीएम पर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में एसडी कार्ड (मैमोरी कार्ड) सैडंडिस्क 16 जीबी परिवादी श्री राहुल मंगल को रिकॉर्डर को बंद व चालू करने की विधि समझाई जाकर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु के पास बाद हिदायत रवाना किया। तत्पश्चात समय 0640 पीएम पर परिवादी राहुल मंगल वापस आया जिससे ल एसपी द्वारा पूर्व में सुपुर्दशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को प्राप्त किया गया। परिवादी से पूछताछ की गई एवं वाईस रिकार्डर को चालू कर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता स्पष्ट नहीं होना पायी गई। वॉईस रिकॉड्रर को अति. पुलिस अधीक्षक ने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी को गोपनीयता बनाये हिदायत देकर रूकसत किया जाकर मुकिम धौलपुर रहा। दिनांक 10.10.2025 को श्री अमित सिंह अतिरिक्त अधीक्षक मय श्री सन्तोष कुमार हैड कानि. मय वॉईस रिकॉर्डर मय लैपटॉप प्रिन्टर, की-बोर्ड, माउस मय सरकारी बोलेरो के धौलपुर से रवाना हो एसीबी चौकी भरतपुर उपस्थित आये। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 13.10.2025 को परिवादी श्री राहुल मंगल से जरिये मोबाईल हुई ार समय 0900 ए.एम. पर श्री अमित सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी चौकी भरतपुर मय डिजीटल वॉईस मय मैमोरी कार्ड मय लैपटॉप-प्रिन्टर, की-बोर्ड, माउस आदि मय सरकारी वाहन बोलेरो के एसीबी चौकी भरतपुर मांग सत्यापन हेतु रवाना हो समय 0230 पीएम पर ओडेला रोड धौलपुर पंहुचा जंहा परिवादी राहुल मंगल मिला, जिसको डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुपुर्द कर बाद हिदायत आरोपी के पास जाकर रिश्वत मांग हेतु रवाना किया गया तथा बाद रिश्वत मांग सत्यापन के समय 0322 पीएम पर परिवादी वापस आया व मांगने शुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पेश किया। पूछने पर परिवादी ने बताया कि मेरी श्री कैलाश चन्द मीना सचिव से ांग के सम्बन्ध में वार्ता हो गई है और मेरे से मेरी मां की फर्म का लाईसेन्स जारी करने के एवज में श्री कैलाश चन्द चिव ने 45,000/-रूपये रिश्वत की मांग की है और कहा कि रूपये लेकर कब आना मै तुझे फोन करके बता दुंगा। ल एसपी द्वारा डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सुना जाकर सुरक्षित रखा। परिवादी ने एडिशनल एसपी को कि मै रिश्वत राशि की व्यवस्था कर उसी दिन धौलपुर में ही मिल जाउंगा, जिस दिन मुझे मण्डी सचिव श्री केलाश

ा बुलायेगा। एडिशनल एसपी द्वारा परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर धौलपुर में मिलने व गोपनीयता खने की हिदायत देकर रूकसत किया जाकर मुकिम धौलपुर रहे। दिनांक 14.10.2025 को एडिशनल एसपी मय वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मय लैपटॉप-प्रिन्टर, की-बोर्ड, माउस आदि मय सरकारी वाहन बोलेरो के धौलपुर ा हो ब्यूरो चौकी भरतपुर पहुंच वॉईस रिकॉर्डर से मैमोरी कार्ड निकालकर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा दिनांक 17.11.2025 को अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से हुई वार्तानुसार ट्रेप कार्यवाही हेतु जरिये विशेष ार्यालय भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर से दो स्वतंत्र गवाह तलब करने श्री संजय कुमार मीना कनिष्ठ ा एवं श्री देवेन्द्र कुमार वरिष्ठ प्रारूपकार उपस्थित आये जिनको कार्यवाही से अनभिज्ञ रखते हुए तलब करने पर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूकसत किया गया। दिनांक 24.11.2025 को श्री अमित सिंह अतिरिक्त पुलिस , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर के अवकाश पर रवानगी बाबत श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध कैलाश चन्द मीना सचिव कृषि उपज मिति धौलपुर की मूल पत्रावली मय डिजीटल वाईस रिकार्डर व मैमोरी कार्ड आदि के अग्रिम कार्यवाही हेतु मन भारद्वाज पुलिस निरीक्षक चार्ज अति. पुलिस अधीक्षक एसीबी भरतपुर को प्राप्त हुई। पत्रावली का अवलोकन किया रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं को सुना गया तो आरोपी द्वारा परिवादी श्री राहुल मंगल की मां श्रीमति देवी की फर्म श्री बांके विहारी इण्डस्ट्रीज धौलपुर का कृषि जिन्स व्यापार (आडत) का लाईसेन्स जारी करने की 45,000/-रूपये रिश्वत लेने हेतु सहमत होना स्पष्ट रूप से पाया जाना पत्रावली/रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता ध होने पर परिवादी श्री राहुल मंगल के मोबाईल पर वाट्सएप कॉल कर वार्ता की गई तो बताया कि मण्डी सचिव मुझे नही बुलाया है जब भी बुलायेगा मैं आपको सूचित कर दूंगा, इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। 25.11.2025 को श्री रीतराम सिंह एएसआई को पत्रावली मय रिकार्डर व मैमोरी कार्ड के बाद हिदायत सुपुर्द कर कार्य से ब्यूरो चौकी करौली रवाना हुआ। दिनांक 27.11.2025 को समय 0830 एएम पर मन जगदीश भारद्वाज निरीक्षक चार्ज अति. पुलिस अधीक्षक एसीबी भरतपुर को परिवादी से जरिये वाटसएप कॉल सूचना प्राप्त होने पर श्री सिंह एएसआई को ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध कैलाश चन्द मीना सचिव कृषि उपज मण्डी समिति धौलपुर की पत्रावली जीटल वाईस रिकार्डर, नया मैमोरी कार्ड, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप-प्रिन्टर, स्पीकर आदि सामग्री तथा पूर्व से पाबन्द शुदा तंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों तथा सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक के धौलपुर-भरतपुर रोड़ स्थित उमरारा ास पहुंचने हेतु आवश्यक निर्देश दिये जाकर मन जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक चार्ज अति. पुलिस अधीक्षक भरतपुर मय जाप्ता मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक के ब्यूरो चौकी करौली से रवाना हो समय 1040 एएम पुर-भरतपुर रोड स्थित उमरारा गांव के पास पहुंचा हूं जहां पर निर्देशानुसार ब्यूरो चौकी भरतपुर से तलब शुदा श्री सिंह एएसआई मय जाप्ता श्री सन्तोष हैड कानि. 58, श्री दिलीप कुमार कानि.610, श्री विनोद सिंह कानि. 114, श कानि. 85, श्री परसराम कानि. 203, मय स्वतंत्र गवाहान श्री संजय कुमार मीना कनिष्ठ अभियन्ता, देवेन्द्र कुमार रूपकार मय सरकारी वाहन बोलेरो मय ट्रेप कार्यवाही पत्रावली, डिजीटल वाईस रिकार्डर, मैमोरी कार्ड, ट्रेप पटॉप-प्रिन्टर, स्पीकर आदि सामग्री के उपस्थित मिले। मन टीएलओ द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान को अपना परिचय , पता व पद पूछा तो अपना-अपना नाम क्रमशः श्री संजय कुमार मीना पुत्र श्री घनश्याम मीना, जाति मीना, उम्र , निवासी वसुन्धरा कोलोनी सालोदा मोड गंगापुर सिटी, पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी, जिला सवाई हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर व श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री दौलतराम, जाति म्र 35 साल, निवासी वार्ड नं. 06 अम्बेडकर चौक खैरथल, पुलिस थाना खैरथल, जिला खैरथल तिजारा हाल वरिष्ठ र कार्यालय भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर होना बताया। समय 1110 एएम पर परिवादी श्री राहुल मंगल वेट वाहन के मन टीएलओ के पास उपस्थित आया जिसको मन जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक चार्ज अति. धीक्षक एसीबी भरतपुर द्वारा स्वंय का परिचय देकर परिवादी का नाम पता पूछा तो परिवादी ने अपना नाम राहुल श्री अन्तराम मंगल निवासी पिताम्बरा कोलोनी धौलपुर होना बताया। इसके बाद परिवादी ने ट्रेप कार्यवाही के छने पर बताया कि मैने मेरी माता श्रीमति भगवान देवी की फर्म श्री बांके विहारी इण्डस्ट्रीज धौलपुर के कृषि जिन्स (आडत) का लाईसेन्स जारी करने के लिए कृषि उपज मण्डी समिति धौलपुर के सचिव श्री कैलाश चन्द मीना को पेश की थी जिसने पत्रावली में कमी बताकर मुझे वापस दे दी थी, फिर मुझे जानकारी हुई सचिव बिना रिश्वत लिये जारी नही करते है, इस पर मैने उनसे सम्पर्क किया तो उन्होने मुझे कहा कि लाईसेन्स जारी करने के लिए 50,000 ांगे, इस पर मैं बाद में रूपये देने की कहकर उनके पास से आ गया तथा दिनांक 09.10.2025 एसीबी भरतपुर के एसपी साहब श्री अमित जी से मोबाईल पर बात की व सभी बाते बताई तथा उसी दिन एसीबी भरतपुर से एसपी साहब मेरे पास आये, जिनको मैने लिखित रिपोर्ट मय कागजात पेश किये, साहब ने मेरे से पूछताछ कर ार्डर देकर सचिव के पास रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किया था उस दिन सचिव ने फाईल में कमी फिर मुझे वापस दे दी तथा इसके बाद दिनांक 13.10.2025 को एसीबी भरतपुर से एडिशनल एसपी साहब मेरे उस दिन भी साहब ने मुझे रिकार्डर देकर सचिव के पास भेजा। इस पर मैने सचिव से उनके कार्यालय में जाकर मेरे

सम्बन्ध में वार्ता कर फाईल दे दी तथा मेरे निवेदन करने पर 45000/-रूपये रिश्वत लेने पर सहमत हो गये। मैने पता सचिव आज मुझे उनके कार्यालय में ही मिल जायेगे, इस पर मैने आपको वाटसएप कॉल कर सूचित कर दिया था। मैं सचिव को रिश्वत में देने हेतु 45000/-रूपये साथ लेकर आया हूं। इस पर परिवादी का उपस्थित दोनो स्वतंत्र से आपस परिचय करवाया गया तथा दोनो गवाहान से ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रहने बाबत मौखिक स्वीकृति प्राप्त र परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट पढने को दी गई तथा लिखित रिपोर्ट पर प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करवाये गये। पर उपलब्ध साक्ष्यों के बारे में दोनो गवाहान को अवगत कराया गया। इसके पश्चात समय 1120 एएम पर दोनो वाहान के समक्ष मन् टीएलओ ने परिवादी श्री राहुल मंगल से आरोपी सचिव को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश कहने पर उसने अपने पास से 500-500 रूपये के 90 नोट (नब्बे) भारतीय चलन मुद्रा के कुल 45,000/-रूपये हजार) अपने पास से निकालकर मन टीएलओ को पेश किये जिनका विवरण फर्द पेशकशी में अंकित करवाया रिवादी द्वारा पेश शुदा नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री सन्तोष कुमार हैड 58 से सरकारी बोलेरो गाडी के डेस्क बोर्ड से फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा मंगवाया जाकर एक अखबार के नोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री सन्तोष कुमार हैडकानि से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-लवाया गया तथा परिवादी श्री राहुल मंगल की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री संजय कुमार मीना से लिवाई गई तो स कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे रिश्वती राशि 500-500 रूपये ब्बे) नोट कुल 45,000/-रूपये (पैंतालीस हजार) के उक्त नोटों को श्री सन्तोष कुमार हैडकानि से परिवादी की पहनी की दायें तरफ की सामने की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को क रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर रिश्वत राशि प्राप्त करने का नजर के र कर आंखो को मसलकर या फोन कर मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद गवाह श्री देवेन्द्र कुमार से गाडी में की बोतल में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री सन्तोष कुमार हैडकानि के दाहिने हाथ की अंगुलियों को लवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन को फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा लीन पाऊडर का डिब्बा को बंद ढक्कन कराकर श्री सन्तोष कुमार हैडकानि को सुपुर्द किया गया। इसके बाद दोनों व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन टीएलओ ने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी ोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजिटल वॉइस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड क्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। श्री सन्तोष कुमार हैडकानि को बाद हिदायत मौके पर ही छोडा गया। फर्द पृथक की जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द शामिल पत्रावली कर समय 1205 पीएम पर परिवादी श्री ल व श्री दिलीप कुमार कानि. को परिवादी के निजी वाहन से बाद हिदायत कृषि उपज मण्डी समिति धौलपुर मन टीएलओ मय जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के ब्यूरो चौकी भरतपुर व करौली के सरकारी वाहनों से परिवादी के रवाना होकर कृषि उपज मण्डी समिति धौलपुर पहुंचा कुछ समय बाद परिवादी बिना ईशारे किये मन टीएलओ या जिससे वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित रखा व परिवादी ने बताया कि मैने सचिव से उनके मोबाईल र पूछा उन्होने अपने आप को बाहर जाना बताया फिर भी मैं उनके कार्यालय में गया तो सचिव साहब कार्यालय ले, वो उनके अधिकारी के साथ बाहर गये हुए कब तक आयेगे पता नही। इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत ास रहने की हिदायत दी गई तथा सचिव के आने पर सूचित करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये। मन टीएलओ व स्वतंत्र गवाहान के मण्डी के आस-पास अपनी पहचान छिपाते हुए मुकिम हुआ। इसके पश्चात समय 0500 परिवादी श्री राहुल मंगल मन टीएलओ के पास आया व बताया कि अभी तक मण्डी सचिव कार्यालय नही आये के कार्यालय में आने की सम्भावना कम है। ऐसी स्थिति में स्वतंत्र गवाह देवेन्द्र कुमार वरिष्ठ प्रारूपकार से पहने हुए पेन्ट की जेब से फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि 45000/-रूपये निकलवाये जाकर एक रखवाये जाकर सरकारी वाहन में सुरक्षित रखे गये व गवाह के दोनी हाथो को साबुन पानी से साफ करवाया परिवादी को हिदायत दी गई कि दिनांक 28.11.2025 को समय करीब 10 बजे गावं उमरारा के पास पूर्व के

र मिले। परिवादी को बाद हिदायत रूकसत किया जाकर मन टीएलओ मय जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के कृषि उपज मिति धौलपुर के पास स्थित मन्दिर से रवाना होकर ब्यूरो चौकी भरतपुर पहुंच, सरकारी वाहन बोलेरो से ट्रेप डिजीटल वाईस रिकार्डर, मैमोरी कार्ड, लेपटॉप-प्रिन्टर, स्पीकर आदि सामग्री को कार्यालय में सुरक्षित रखवाया गया कारी वाहन बोलेरो में लिफाफा में सुरक्षित रखी हुई फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि 45000/-रूपये को की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 28.11.2025 को समय 0830 कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूकसत किया गया। दिनांक 28.11.2025 को समय 0840 एएम पर बन्द शुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री संजय कुमार मीना कनिष्ठ अभियन्ता, देवेन्द्र कुमार वरिष्ठ प्रारूपकार उपस्थित आये तथा दोनो गवाहान के सामने श्री सन्तोष हैड कानि. से कार्यालय की आलमारी से लिफाफा में सुरक्षित रखी फ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि 45000/-रूपये को निकलवाया जाकर ब्यूरो चौकी भरतपुर के सरकारी वाहन के डेस्कबोर्ड में सुरक्षित रखवाया गया तथा श्री सन्तोष हैड कानि. के दोनो हाथो को साबुन-पानी से साफ करवाये स्त ट्रेप पार्टी के हाथो को साबुन-पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गये। इसके पश्चात समय 0850 एएम पर ब्यूरो रौली के सरकारी वाहन बोलेरो से मन टीएलओ जगदीश भारद्वाज मय श्री बृजेश कुमार कानि., श्री दिलीप कुमार श्री बृजेश कुमार कानि. चालक के तथा ब्यूरो चौकी भरतपुर के सरकारी वाहन बोलेरो से श्री रीतराम सिंह ई, श्री सन्तोष हैड कानि., श्री लोकेश कानि., श्री गोकलेश कानि., श्री विनोद सिंह कानि. मय स्वतंत्र गवाहान श्री मार मीना कनिष्ठ अभियन्ता, श्री देवेन्द्र कुमार वरिष्ठ प्रारूपकार मय ट्रेप कार्यवाही पत्रावली, डिजीटल वाईस मैमोरी कार्ड, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप-प्रिन्टर, स्पीकर, विडियों कैमरा आदि सामग्री के ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरो चौकी से रवाना होकर समय 1020 एएम पर धौलपुर-भरतपुर रोड़ स्थित उमरारा गांव के पास पहुंचा जहां पर पूर्व से दा परिवादी श्री राहुल मंगल मिला। परिवादी की स्वतंत्र गवाह देवेन्द्र कुमार से जामा तलाशी लिवाई गई तो कोई नक वस्तु नहीं पाई गई। तत्पश्चात श्री संतोष कुमार हैड कानि0 द्वारा सरकारी गाडी बोलेरो के डेस्क बोर्ड से निकलवा कर उसमें रखी फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि निकलवा कर बाद मिलान परिवादी के पहने हुए के सामने की दाहिनी साईड की जेब में सीधे ही रखवायी गई व हैड कानि0 से उक्त लिफाफा जलवाकर नष्ट करवाया के बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये मन टीएलओ ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर हान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर री कार्ड वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि र बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। श्री सन्तोष कुमार हैडकानि को बाद हिदायत मौके पर ही छोडा गया। इसके मय 1030 एएम पर परिवादी श्री राहुल मंगल व श्री दिलीप कुमार कानि. को परिवादी के निजी वाहन से बाद कृषि उपज मण्डी समिति धौलपुर रवाना कर मन टीएलओ मय जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के ब्यूरो चौकी भरतपुर व के सरकारी वाहनों से परिवादी के पीछे-पीछे रवाना होकर कृषि उपज मण्डी समिति धौलपुर सामने नेशनल हाईवे पुलिया के नीचे वाहनो को साईड में खडा करवाकर कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति धौलपुर के आस पास पहुंच हचान छिपाते हुए मुकिम हुआ। इसके पश्चात समय 1048 एएम पर परिवादी श्री राहुल मंगल ने कार्यालय कृषि डी समिति धौलपुर से बाहर निकल कर मैन गेट के सामने रोड से मन जगदीश भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक चार्ज पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर को देखकर निर्धारित ईशारा अपने नजर के चश्मे उतारकर मसलकर किया जिस पर मन पुलिस निरीक्षक व स्टाफ मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान को अपने पीछे आने का कर कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति धौलपुर में पहुंच कर परिवादी को अपने पास बुलाकर परिवादी से डिजीटल कार्डर प्राप्त कर बन्द करवाकर सुरक्षित रख आरोपी के कार्य करने कक्ष में पहुंचा जहां पर परिवादी ने उक्त कक्ष में जाकेट पहने हुए व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि ये कृषि उपज मण्डी समिति धौलपुर सचिव कैलाश चन्द ये मुझे कार्यालय के बाहर मिले जिनसे मैने मेरी माता जी की फर्म का लाईसेन्स जारी करने के लिए कहा तो इन्होने ग किये गये रूपये देने के बाद काम करने की कहां इस पर मैने कहा कि मैं 45000/-रूपये लेकर आया हूं ले लो और कर दो। इस पर ये मुझे लेकर अपने साथ कार्यालय में अन्दर लेकर आये व कार्यालय में उपर जाने वाली सीढीयों कर मेरे से मेरी माता जी की फर्म श्री बांके विहारी इण्डस्ट्रीज धौलपुर के कृषि जिन्स व्यापार (आडत) का लाईसेन्स ने के लिए 45000/-रूपये मांगकर अपने दाएं हाथ से लेकर दोनो हाथो से टटोल कर अपनी पहनी हुई जैकिट की की सामने की अन्दर की नीचे जेब में रख लिए व मैने 1-2 दिन में लाईसेन्स जारी करने के लिए कहा है। ये अपनी अन्दर आ गये और मैं बाहर आ गया और आपको देखकर ईशारा कर दिया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने अपना त्र दिखाकर उक्त व्यक्ति से उसका नाम-पता व पद पूछा तो कैलाश चन्द मीना पुत्र श्री रामनाथ मीना, उम्र 57 ति मीना, निवासी गुगली का गुवाड़ा, पुलिस थाना थानागाजी जिला अलवर हाल सचिव कृषि उपज मण्डी समिति मीना बताया। इसके बाद श्री गोकलेश कानि. से सरकारी विडियों कैमरा चालू करवाकर आरोपी कैलाश चन्द मीना

गवाहान के सामने परिवादी ने पूछने पर बताया कि मैने मण्डी के लाईसेन्स के लिए आवेदन किया था तो इन्होने ईसेन्स जारी करने के लिए 50,000/-रूपये मांगे, मैने 40,000/-रूपये की कहा तो इन्होने मना कर दिया, मैने -रूपये देने के लिए कहा तो ये सहमत हो गये और अभी मेरे से 45000/-रूपये लिए है। परिवादी ने पुनः पूछने पर के मैं करीब 4 माह से लाईसेन्स के लिए इनके चक्कर काट रहा हूं। फिर मुझे जानकारी हुई कि मण्डी सचिव बिना काम नही करते है। मैने मेरे लाईसेन्स को जारी करने के लिए अभी 45,000/-रूपये दिये है। इस पर आरोपी ने बताया कि मैने तारबन्दी के लिए इनसे रूपये उधार लिए है, ये मुझे अभी देकर गये है। आरोपी को उधार लेन-देन में लिखापढ़ी होने के बारे में पूछा तो कोई लिखापढी नही होना बताया। उक्त आरोपी ने रिश्वत के रूपये अपने जैकिट की बाएं तरफ की सामने की नीचे की अन्दर की जेब में रखा होना बताया। इस पर स्वतंत्र गवाह श्री देवेन्द्र रिष्ठ प्रारूपकार से रिश्वत राशि निकलवाई गई व कल दिनांक 27.11.2025 को तैयार की गई फर्द पेशकशी में 00-500 रूपये के 90 नोट कुल 45000/-रूपये के नोटो के नम्बरो से दोनो स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो म्बर हूबहू होना पाये गये, जिनका विवरण फर्द मे अंकित करवाया गया। उपरोक्त नम्बरी रिश्वत राशि 45,000/- स्वतंत्र गवाह श्री देवेन्द्र कुमार के पास सुरक्षित रखवाया गया। इसके पश्चात सरकारी वाहन से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर में से स्वतंत्र गवाह संजय कुमार मीना कनिष्ठ अभियन्ता से 3 पारदर्शी डिस्पोजल गिलास व तामचीनी का कटोरा यम कोर्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर मण्डी समिति के कार्मिक से कार्यालय में से दो जग में साफ पानी तामचीनी के कटोरा को साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह साफ करवाकर उक्त तामचीनी के कटोरा में 1 गिलास रखवाकर उसमें स्वतंत्र गवाह श्री संजय कुमार मीना कनिष्ठ अभियन्ता से साफ पानी भरवाकर उसमें एक डियम कोर्बोनेट पाउडर डलवाकर पेन से हिलवाया गया तो पानी का रंग रंगहीन रहा जिसे सभी को दिखाकर लाश चन्द मीना सचिव कृषि उपज मण्डी समति धौलपुर के दाएं हाथ की अंगुलियों व अंगूठा को गिलास में लवाया गया तो पानी का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन को दिखाकर ट्रेप बॉक्स से दो साफ कांच यां निकलवाकर उसमें आधा-आधा भरवाकर ढक्कन बन्द करवा कर ढक्कन पर आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित ये। इसके पश्चात काम में लिये गये डिस्पोजल गिलास को साईड में रखवाकर स्वतंत्र गवाह संजय कुमार मीना भियन्ता से तामचीनी के कटोरा को साबुन-पानी से साफ करवाकर उसमें नये 1 पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को के कटोरा में रखवाकर जग मे से साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कोर्बोनेट पाउडर डलवाकर पेन से घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया इसके बाद लाश चन्द मीना सचिव कृषि उपज मण्डी समति धौलपुर के बांए हाथ की अंगुलियों व अंगूठा को गिलास में लवाया गया तो पानी का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन को दिखाकर ट्रेप बॉक्स से दो साफ कांच यां निकलवाकर उसमें आधा-आधा भरवाकर ढक्कन बन्द करवा कर ढक्कन पर एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित ये। इसके पश्चात काम में लिये गये उक्त डिस्पोजल गिलास को साईड में रखवाकर स्वतंत्र गवाह संजय कुमार मीना भियन्ता से तामचीनी के कटोरा को साबुन-पानी से साफ करवाकर उसमें नये 1 पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में जग मे से साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कोर्बोनेट पाउडर डलवाकर पेन से हिलवाकर घोल तैयार ाकर हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया इसके बाद आरोपी कैलाश चन्द मीना षि उपज मण्डी समति धौलपुर के पहने हुए जैकिट की सामने की उपर की जेब से पेन व चश्मा को टेबल पर जैकिट को उतरवाकर जैकिट की बाएं तरफ की सामने की नीचे की अन्दर की जेब को स्वतंत्र गवाह संजय कुमार ष्ठ अभियन्ता से उलटवाकर डिस्पोजल गिलास में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया, जिसे रीन को दिखाकर ट्रेप बॉक्स से दो साफ कांच की शीशीयां निकलवाकर उसमें आधा-आधा भरवाकर ढक्कन बन्द ढक्कन पर जे.-1 व जे.-2 अंकित करवाये गये। काम में लिये गये उक्त तीनों डिस्पोजल गिलास को नष्ट करवाया वन के शील्ड सैम्पल आर.एच.-1, आर.एच.-2, एल.एच.-1, एल.एच.-2, जे.-1 व जे.-2 को शील्ड करवाकर कागज की चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत जप्त कर कब्जा या गया। स्वतंत्र गवाह श्री देवेन्द्र कुमार वरिष्ठ प्रारूपकार के पास सुरक्षित रखी बरामद शुदा रिश्वत राशि 500- के 90 नोट कुल 45000/-रूपये को पुनः चैक कर एक कागज की चिट के साथ सीलवाकर शील्ड मोहर करवाकर म्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी की खादी की चैक पैर्टन ट को सुखवाकर बरामद हुई रिश्वत राशि की जेब पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर जैकिट को एक कपडें की कर सिलवाकर सील मोहर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क-जे अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी ने परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज कार्यालय में सम्बन्धित रखा होना बताया जिनको पृथक से प्राप्त कर प्रमाणित फोटोप्रति जरिये फर्द जप्ती जप्त की जावेगी। मन जगदीश पास सुरक्षित रखे हुए डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकार्ड सको मन टीएलओ के पास सुरक्षित रखा गया। इसके बाद परिवादी व आरोपी से आपस में एक दूसरे से किसी जिश एवं पैसे आदि के लेन-देन शेष होने बाबत पूछा तो परिवादी व आरोपी ने स्वेच्छा से किसी प्रकार की रंजिश

लेन देन होने से मना किया। फर्द बरामदगी पृथक से मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। दौराने
मदगी ब्यूरो के उच्चाधिकारियों को आरोपी के जयपुर स्थित आवास की खाना तलाशी लिवाई जाने हेतु निवेदन
ा। समय 1230 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष आरोपी कैलाश चन्द मीना सचिव कृषि उपज
मिति धौलपुर से परिवादी राहुल मंगल की माता के नाम की फर्म के लाईसेन्स संबधित पत्रावली के बारे में पूछा तो
ाया कि पत्रावली संबधित बाबू के पास रहती है इस पर संबधित बाबू गिर्राज मीना जो कि आज अवकाश पर है, को
कार्मिक श्री दीनदयाल सविंदाकर्मी द्वारा जरिये टेलीफोन परिवादी से संबधित पत्रावली के संबध में पूछा तथा
न सविंदाकर्मी ने एक पत्रावली कार्यालय की आलमारी से निकालकर पेश की। जिसका अवलोकन किया गया तो
के फाईल कवर पर श्री बांके बिहारी इन्डस्ट्रीज बीर नारायणन कोलोनी धौलपुर लिखा हुआ है। पत्रावली में 01
09 पेज है। पेज संख्या 01 लाईसेन्स मंजूरी के लिए आवेदन पत्र, पेज संख्या 2,3,4 स्टाम्प पेपर व पेज संख्या 5,6
र्ता श्रीमति भगवान देवी का आधार कार्ड ,पेन कार्ड व पेज संख्या 9 पर पोस्ट ऑफिस के खाते की पासबुक जिस पर
बर अंकित है, को कब्जा एसीबी लिया गया तथा आरोपी कैलाश चन्द मीना से उक्त पत्रावली में
ार्यवाही के संबंध में पूछा तो बताया कि परिवादी से संबंधित फाईल को अनुमोदन के लिए प्रशासक जी के लिए
न भेज दिया है, जिस पर कम्प्यूटर ऑपरेटर संविदा कर्मी श्री दीनदयाल से ऑन लाईन की गई पत्रावली का प्रिन्ट
कलवाया गया जो पेज संख्या 01 लगायत 13 है। प्रथम पेज अनुमोदन हेतु ऑनलाईन नोटशीट है एवं पेज 02 से 13
न पत्रावली फोटोकॉपी है दोनो पत्रावली की पेजिंग करवाकर फोटोप्रति कराई गई। प्रकरण हाजा में उक्त मूल
त पत्रावली को जब्त करने पर परिवादी का कार्य बाधित नही हो इसलिए उक्त मूल पत्रावली की फोटोप्रति एवं
कार्य के दस्तावेज को कार्यालय कर्मी श्रीमति पूनम वरिष्ठ सहायक कैशियर कृषि उपज मण्डी समिति धौलपुर
णित करवाया जाकर जब्त कर शामिल पत्रावली किया गया। मूल आवेदन पत्रावली को श्रीमति पूनम वरिष्ठ
कैशियर कृषि उपज मण्डी समिति धौलपुर को परिवादी का कार्य नियमानुसार समय पर पूर्ण करने की हिदायत कर
को सुपुर्द किया गया। प्रमाणित दोनो पत्रावलियों के प्रथम व अन्तिम पृष्ट पर संबधित के हस्ताक्षर कराकर शामिल
किया गया। फर्द जप्ती रिकार्ड मय रिकार्ड के पृथक से मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके
मय 0100 पीएम पर घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निशादेही पर गवाहान की
में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके
मय 0130 पीएम पर मन् टीएलओ ने उपस्थित स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष आरोपी श्री कैलाश चन्द
श्री रामनाथ मीना, उम्र 57 साल, जाति मीना, निवासी गुगली का गुवाडा, पुलिस थाना थानागाजी, जिला
ल सचिव कृषि उपज मण्डी समिति धौलपुर द्वारा परिवादी श्री राहुल मंगल से परिवादी की माता श्रीमति भगवान
र्म श्री बांके बिहारी इण्डस्ट्रीज धौलपुर के नाम से कृषि मण्डी समिति धौलपुर में कृषि जिन्स (आडत) व्यापार हेतु
के लिए आवेदन किया था, कृषि उपज मण्डी समिति धौलपुर के सचिव श्री कैलाश चन्द मीना द्वारा परिवादी को
सेन्स जारी करने की एवज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 09.10.2025 व 13.10.2025 को 50,000/-
त की मांग कर 45,000/-लेने पर सहमत होना उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 28.11.2025 को परिवादी
य कृषि उपज मण्डी समिति धौलपुर में रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 90 नोट (नब्बे नोट) भारतीय चलन मुद्रा
5,000/-रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडे जाने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988
ोधित वर्ष 2018) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को जुर्म से आगाह कर हस्ब कायदा समस्त कानूनी
बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री संजय कुमार से लिवाई गई तो
के पास एक ऑप्पो कम्पनी का मोबाईल जिसमें जीओ व बीएसएनएल की सिम डली हुई है जिनके नं0 क्रमशः
एवं है एवं जेब में 3180/- रूपये व स्वंय का आधार कार्ड जिसके नम्बर
मे। राशि के संबध में पूछा गया तो उसने अपने स्वंय खर्च के होना बताया। आरोपी के पास मिली राशि के संबंध में
जबाब देने पर उक्त राशि व मोबाईल को आरोपी के कहे अनुसार मौके पर उपस्थित आरोपी की साली (पत्नि की
न) रचना मीना निवासी गुडाचूरानी पुलिस थाना प्रतापगढ जिला अलवर को संभलाया गया। गिरफ्तारी की
रचना मीना को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। समय
एम पर आरोपी के निवास की जरिये फर्द खाना तलाशी ली गई। इसके पश्चात समय 0450 पीएम पर मन
य स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व ट्रेप पार्टी सदस्यों मय शील्डशुदा रिश्वत राशि मय धोवन की शील्ड शीशियां,
ट, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड, विडियों कैमरा मय मैमोरी कार्ड, मुताबिक फर्दात मय ट्रेप बॉक्स,
प्रिन्टर आदि सामग्री मय सरकारी वाहनो व परिवादी के निजी वाहन के कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति धौलपुर
होकर समय 0645 पीएम पर एसीबी चौकी भरतपुर पहुंच, ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध कैलाश चन्द मीना सचिव कृषि
समिति धौलपुर में जप्त धोवन की शील्ड शुदा शीशी मार्क आर.एच-1, आर.एच-2, एल.एच-1, एल.एच-2, जे-
शील्ड पैकिट मार्क-जे व बरामद शुदा शील्ड नम्बरी रिश्वत राशि 45,000/-रूपये को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश
68 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप-प्रिन्टर, विडियों कैमरा मय मैमोरी कार्ड,

वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड, स्पीकर आदि सामग्री को कार्यालय में सुरक्षित रखा गया। समय 0655 पीएम पर मसिंह एएसआई मय जाप्ता मय गिरफ्तार शुदा आरोपी कैलाश चन्द मीना मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक ी का स्वास्थय परीक्षण व बाद स्वास्थ्य परीक्षण बन्द हवालात कराने हेतु पृथक से तहरीर दी जाकर बाद हिदायत रने पर समय 0730 पीएम पर श्री रीतराम सिंह एएसआई मय जाप्ता व सरकारी वाहन के गिरफ्तार शुदा आरोपी न्द मीना का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना मथुरागेट भरतपुर में बन्द हवालात हाजिर कार्यालय आये। समय 0750 पीएम पर दिनांक 25.11.2025 को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रख रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 09.10.2025 व 13.10.2025 के मूल माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर वाईस रिकार्डर में डालकर डिजीटल वाईस रिकार्डर को श्री दिलीप कुमार कानि. से कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें एन्टीवायरस डला हुआ है से अटैच करवाकर स्कैन करवाया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं ा। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर की सहायता से एमडी 5 व 1 में हैश वैल्यू निकलवाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल किया गया। समय 0800 पीएम पर परिवादी राहुल मंगल व आरोपी कैलाश चन्द मीना सचिव कृषि उपज मण्डी ौलपुर के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 09.10.2025 व 13.10.2025 जो डिजीटल वॉईस के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड है, को श्री दिलीप कुमार कानि. से कार्यालय के विभागीय कम्प्यूटर से अटैच करवाकर वॉइस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड उक्त वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के सीडी तैयार करवाकर ार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में रूपान्तरण व हिन्दी भाषा में अनुवाद तैयार किया डी की और दो सीडी तैयार करवाई गई। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर ो के हस्ताक्षर करवाये गये। वाईस रिकार्डर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "एम" अंकित कर सील मौहर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व मुल्जिम सीडी व माईक्रो एसडी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कानि0 68 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। न्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय एम पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 09.10.2025 व 13.10.2025 को परिवादी के मध्य हुई वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर की सहायता से एमडी एचए 1 में हैश वैल्यू निकलवाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल किया गया। दिनांक 29.11.2025 को समय 0750 एएम पर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रख गये वक्त न-देन वार्ता दिनांक 27.11.2025 व 28.11.2025 के मूल माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर डिजीटल वाईस में डालकर वाईस रिकार्डर को श्री दिलीप कुमार कानि. से कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस है से अटैच करवाकर स्कैन करवाया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर की सहायता से एमडी 5 व एसएचए 1 में निकलवाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। ात समय 0800 एएम पर परिवादी राहुल मंगल व आरोपी कैलाश चन्द मीना सचिव कृषि उपज मण्डी समिति के मध्य हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता दिनांक 27.11.2025 व 28.11.2025 जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के एसडी रिकॉर्ड है, को श्री दिलीप कुमार कानि. से कार्यालय के विभागीय कम्प्यूटर से अटैच करवाकर वॉइस रिकॉर्डर के र्ड में रिकॉर्ड उक्त वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के सीडी तैयार करवाकर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर वाहान, परिवादी की मौजूदगी में रूपान्तरण व हिन्दी भाषा में अनुवाद तैयार किया गया। सीडी की और दो सीडी वाई गई। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "बी" अंकित करवाकर मूल मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये स रिकार्डर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की खकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "एम-1" अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया मूल व मुल्जिम सीडी व माईक्रो एसडी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 68 को दुरूस्त सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय 0920 एएम पर वक्त रिश्वत ार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 27.11.2025 व 28.11.2025 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है की ऑडियो फाइल का एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर की सहायता से एमडी 5 व एसएचए 1 में हैश वैल्यू र हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके मय 1015 एएम पर श्री सन्तोष कुमार हैड कानि. मय जाप्ता मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक को ट्रेप

में दिनांक 28.11.2025 को पुलिस थाना मथुरागेट भरतपुर में बन्द हवालात कराये गये आरोपी कैलाश चन्द प्राप्त करने हेतु बाद हिदायत रवाना करने पर समय 1035 एएम पर श्री सन्तोष कुमार हैड कानि. मय जाप्ता मय वाहन बोलेरो मय चालक के आरोपी कैलाश चन्द मीना को हमराह लेकर उपस्थित कार्यालय आये। आरोपी को में जाप्ता निगरानी में बिठाया गया। इसके पश्चात समय 1045 एएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के राने ट्रेप कार्यवाही आरोपी के कार्यालय स्थित निवास की ली गई खाना तलाशी की विडियोंग्राफी की श्री दिलीप नि. से तीन सीडी तैयार करवाई जाकर सीडीयों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर कराये जाकर दो सीडी को सफेद कपडे पृथक-पृथक रखकर थैलियों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर शील्ड मौहर किया जाकर मार्क 'के' अंकित किया जा एसीबी लिया गया एवं एक सीडी को अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। शील्ड सीडी को मालखाना अवधेश कुमार हैडकानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। फर्द रिश्वत राशि बरामदगी वीडियोग्राफी डब तैयार करने के सम्बन्ध में पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गयी। इसके पश्चात 0 एएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री गोकलेश कानि. द्वारा रिश्वत मदगी व हाथ धुलाई की विभागीय वीडियो कैमरा द्वारा कराई गई बीडियोग्राफी की श्री दिलीप कुमार कानि. से तैयार करवाई जाकर सीडीयों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर कराये जाकर दो सीडी को सफेद कपडे की थैली में पृथक-कर थैलियों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर शील्ड मौहर किया जाकर मार्क 'बी' अंकित किया जाकर कब्जा या गया एवं एक सीडी को अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। शील्ड सीडी को मालखाना प्रभारी श्री मार हैडकानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। फर्द रिश्वत राशि बरामदगी वीडियोग्राफी की सीडी करने के सम्बन्ध में पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गयी। इसके पश्चात समय 1130 ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 74 को परिवादी व गवाहान गी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति स्वतंत्र गवाह संजय कुमार को दी गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया। अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी न्द मीना, सचिव कृषि उपज मण्डी समिति धौलपुर द्वारा परिवादी श्री राहुल मंगल से उसकी मां श्रीमति भगवान र्म श्री बांके विहारी इण्डस्ट्रीज धौलपुर का कृषि जिन्स व्यापार (आडत) का लाईसेन्स जारी करने की एवज में 9.10.2025 व 13.10.2025 को 50000/-रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादी के निवेदन पर 45,000/-रूपये हेतु सहमत होना एवं उक्त मांग के अनुशरण में दिनांक 28.11.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया रोपी को 45,000 रूपये को आरोपी के पहनी हुये जैकिट की बांए तरफ की सामने की अन्दर की नीचे जेब से ने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया पाया गया है। उक्त आरोपी कैलाश चन्द मीना पुत्र श्री रामनाथ मीना, उम्र 57 साल, जाति मीना, निवासी गुगली , पुलिस थाना थानागाजी जिला अलवर हाल सचिव कृषि उपज मण्डी समिति धौलपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी ना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर प्रेषित है। (जगदीश भारद्वाज) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर।..........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि ाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जगदीश भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, तिरिक्त चार्ज एसीबी भरतपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम था संशोधित 2018) में आरोपी श्री कैलाश चन्द मीना पुत्र श्री रामनाथ मीना, उम्र 57 साल, जाति मीना, निवासी गुवाड़ा, पुलिस थाना थानागाजी जिला अलवर हाल सचिव कृषि उपज मण्डी समिति धौलपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ज्ञान सिंह चौधरी, पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक दिनांक 01.12.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन , भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर 2- प्रमुख शासन सचिव, कृर्षि विपणन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर 3- रीक्षक तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर। क्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
ार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):
stered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

ted (Name of I.O.): GYAN SINGH CHOUDHARY Rank (पद): अपर पुलिस अधीक्षक
अधिकारी का नाम):

): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)
sed investigation due to
के लिए) :
कारण इंकार किया, या)
sferred to P.S.(थाना): District (जिला):
oint of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .
ad over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the
nant/informant free of cost.
र्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)
C.(आर.ओ.ए.सी.)

ure/Thumb impression of the complainant / informant
तकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 0 2/2025

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

nd time of dispatch to the court
में प्रेषण की दिनांक और समय):

item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

res, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
क की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
2	3	4	5	6	7
Male	1968				

/ Peculiarities ऐं/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Dialect ली)	Place Of(का स्थान) Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	Others (अन्य)
	15	16	17	18	19	20

will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
र्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)